बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पत्रांकः 11/भवन 03–15/2025 (अंश) 337 पटना, दिनांक 30/01/2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

द्वारा : आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के अंतर्गत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के जिर्णोद्धार एवं मरम्मती कार्य हेतु उपबंधित राशि में से कैबिनेट से स्वीकृत राशि कुल ₹2,76,33,00,000/–(दो अरब छिहत्तर करोड़ तैंतीस लाख) रूपये मात्र के अंतर्गत विमुक्त की गयी राशि कुल ₹2,25,92,00,000/–(दो अरब पचीस करोड़ बानबे लाख) रूपये मात्र के पश्चात् अवशेष राशि ₹50,41,00,000/–(पचास करोड़ एकतालीस लाख) रूपये मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः स्वीकृत।

निदेशानुसार कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के अंतर्गत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के जिर्णोद्धार एवं मरम्मती कार्य हेतु उपबंधित राशि में से कैबिनेट से स्वीकृत राशि कुल ₹2,76,33,00,000/–(दो अरब छिहत्तर करोड़ तैंतीस लाख) रूपये मात्र के अंतर्गत विमुक्त की गयी राशि कुल ₹2,25,92,00,000/–(दो अरब पचीस करोड़ बानबे लाख) रूपये मात्र के पश्चात् अवशेष राशि ₹50,41,00,000/–(पचास करोड़ एकतालीस लाख) रूपये मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के अंतर्गत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के जिर्णोद्धार एवं मरम्मती कार्य हेतु कैबिनेट से स्वीकृत राशि कुल ₹2,76,33,00,000/–(दो अरब छिहत्तर करोड़ तैंतीस लाख) रूपये मात्र अंतर्गत ₹2,25,92,00,000/–(दो अरब पच्चीस करोड़ वानवें लाख) रूपये मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–168 दिनांक–19.08.2025 के माध्यम से विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. महाप्रबंधक (प्रशासन), बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक–9885 दिनांक–05.11.2025 द्वारा राज्य स्कीम के अंतर्गत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के जिर्णोद्धार एवं मरम्मती हेतु कुल राशि ₹70,60,00,000/–(सत्तर करोड़ साठ लाख) रूपये मात्र की मांग की गयी है। जिसके विरूद्ध

ही स्वीकृत राशि कुल ₹2,76,33,00,000/–(दो अरब छिहत्तर करोड़ तैंतीस लाख) रूपये मात्र अंतर्गत विमुक्त राशि ₹2,25,92,00,000/–(दो अरब पच्चीस करोड़ वानवें लाख) रूपये मात्र के पश्चात् अवशेष राशि ₹50,41,00,000/–(पचास करोड़ एकतालीस लाख) रूपये मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

4. उक्त स्वीकृत राशि से राज्य के माध्यमिक/उच्च्च माध्यमिक विद्यालयों के जिर्णोद्धार एवं मरम्मती का कार्य कराया जाना है। इससे इन विद्यालयों में पठन–पाठन सूचारू रूप से संचालित किया जायेगा। विद्यालयों में नामांकित छात्र/छात्राओं के अनुपात मे आधारभूत संरचना उपलब्ध होने पर शैक्षणिक वातावरण में गुणात्मक सुधार होंगे।

5. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के जीर्णोद्धार/मरम्मती कार्य योजनान्तर्गत राज्य योजना मद से उक्त राशि का व्यय की जायेगी। प्रस्तावित योजना नई स्कीम है तथा इसके लिए व्यय राज्य योजना मद की निधि से किया जायेगा। उक्त जीर्णोद्धार/मरम्मती कार्य को वित्तीय वर्ष 2025–26 से प्रारंभ कर वित्तीय वर्ष 2026–27 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

6. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के जीर्णोद्धार/मरम्मती कार्य योजना की राशि का विकलन मांग संख्या–21, मुख्यशीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–02–माध्यमिक शिक्षा, लघुशीर्ष–001–निदेशक और प्रशासन, उप शीर्ष–0101–माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, विपत्र कोड–21–2202–02–001–0101 के विषय शीर्ष–0101.27.02 अनुरक्षण मरम्मत अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में संगत मद् में योजनान्तर्गत कुल ₹5,29,50,00,000/–(पाच अरब उनतीस करोड़ पचास लाख) रूपये मात्र का उदव्यय/उपबंध प्राप्त है।

7. उक्त स्वीकृत राशि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के निस्ताराधीन होगी। विमुक्त की जाने वाली राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा के द्वारा BTC-46 पर विपत्र तैयार कराकर कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना के माध्यम से बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के पी0एल0 खाता संख्या–PBBPLA005 के अंतर्गत Ledger ID-3851, Ledger Name-State P&L for Different School में राशि का अन्तरण, अन्तरण जमा के द्वारा किया जाएगा। यह कार्य CFMS के माध्यम से स्थापित प्रक्रियानुसार/नियमानुसार किया जाएगा।

8. व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शिक्षा विभाग के माध्यम से महालेखाकार, पटना को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना की होगी।

9. राशि की निकासी एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत निदेशों/आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना के निर्माण का दोहरी करण एवं राशि का अपव्यय किसी भी स्थिति में न हो।

10. राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम का निरंतर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी एवं जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी/प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा विद्यालय स्तर पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जायेगा।

11. राशि का विचलन किसी भी अन्य मदों में नही किया जायेगा।

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 की चालू स्किमों के तहत कंडिका–03 एवं कंडिका–05 की उप कंडिका (ख) (ii) के आलोक में राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति दी जा रही है।

13. वित्त विभाग के पत्रांक–7355, दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश सं०–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं वित्त विभाग, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत संकल्प, परिपत्रों एवं अन्य पत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जाएगी।

15. उक्त से संबंधित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक–29.07.2025 को आहुत बैठक मं प्राप्त है।

16. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग की सहमति संचिका संख्या–11/भवन 03–15/2025 (अंश) के **पृष्ठ/नोट–24/टि0** पर प्राप्त है।

17. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या–11/भवन 03–15/2025 (अंश) के **पृष्ठ/नोट–31/टि0** पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक: 11/भवन 03–15/2025 (अंश) .... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, सैदपुर, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला पदाधिकारी/वित्त विभाग (योजना एवं बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0शि0 एवं समग्र शिक्षा अभियान)/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना/बजट शाखा एवं लेखा शाखा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना तथा आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक: 11/भवन 03–15/2025 (अंश) 337 पटना, दिनांक 30/01/2026

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30.1.26

उप सचिव, शिक्षा विभाग।